2017/00334

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भारतीय स्टेट बैंक आर.एस.एस.सी.सी.सी.बीकानेर जरिये मुख्य प्रबंधक :बनाम: श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री बृजलाल जोशी (ऋणी) निवासी मकान नं. 52 गिरीराज कुटीर बिन्नाणी कन्या महाविद्यालय के पास, नत्थूसर गेट के बाहर आदि किस्म मुकदमा विविध (रिव्यू प्रार्थना–पत्र) मुकदमा संख्या 56/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.5.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/बैंक के प्रतिनिधि ने पुर्नविलोकन प्रार्थना–पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अनवानी प्रकरण में The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को आदेश दिनांक 04.7.17 से यह उल्लेख करते हुए खारिज किया है कि धारा 14 के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में किन कारणों से विलम्ब हुआ है, इसका कोई युक्तियुक्त कारण प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी बैंक का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया है। ऋणी जिस दिन एन.पी.ए. हुआ उस तिथि से जबतक ऋण नहीं चुकादेता तबतक समयावधि का अवसान नहीं होता है। अतः पुर्नविलोकन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.7.17 दुरूस्त किया जावे। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/बैंक के प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया गया। पूर्व पारित आदेश में उन तथ्यों का परिशीलन/उल्लेख करते हुए गुणावगुण पर विनिश्चिय किय गया है। मूल प्रार्थना–पत्र के निर्णय में जो अंकन किय गया है, उसे "एरर अपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ रिकॉर्ड" नहीं माना जा सकता। प्रार्थी पूर्व आदेश से व्यथित है तो उसे वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत इस न्यायालय को सीमित अधिकार है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत रिव्यू के कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी/ बैंक के प्रतिनिधि यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि आलोच्य आदेश में किस प्रकार की "एरर अपेरेन्ट ऑन दा फेस ऑफ रिकॉर्ड" (Error Apparent On the Face of Record) है, जिससे पूर्व आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/ बैंक खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (डॉ.एन.के.गुप्ता) जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर,बीकानेर जिला कलक्टर, बीकानेर	1261 31.5.18

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official